राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 507/15 जिला श्रीगंगानगर

उनवान 1 मुन्नी देवी w/o जगदीश प्रसाद / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

01.9.15

एकलपीठ

विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। वकील व्यवसायी प्रदीप ~~अनुपस्थित~~ उपस्थित/ अनुपस्थित। पत्रावली पेश [illegible] किये जाने हेतु। विसल लिखित [illegible]

27.10.15 वि.प.2 को नोटिस पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

27.10.15

एकल-पीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

अपीलार्थी/~~विभाग~~ की ओर से श्री .....
~~उपस्थित/अनुपस्थित अपीलार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा इडम हेतु सुनवायी स्थगित करने का निवेदन किया गया।~~ विसल दिनांक 29.1.2015 को एकल पीठ के समक्ष पेश हो। वि.प.सं. 2 को नोटिस तामिली हेतु पत्रावली पेश नहीं करने पर एकलपीठ द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

सदस्य
राज.कर बोर्ड, अजमेर

श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

29.12.15 पत्रावली प्रस्तुत। राजस्व की ओर से उपराजकीय अधिवक्ता श्री सुनील पारीक उपस्थित। निगरानीकार के अधिवक्ता को न्यायालय समय में कई बार उपस्थित होने हेतु आवाज लगायी गयी। अधिवक्ता अनुपस्थित। निगरानीकार के अधिवक्ता को अपीलार्थी संख्या 2 के नोटिस प्रस्तुत करने हेतु 31.3.2015 तक समय दिया जा रहा है। 9 माह का लगभग समय हो चुका है। पूर्व पेशी दिनांक 01.9.15 को नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। पुनः दिनांक 27.10.15 को नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया परन्तु नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः प्रकरण अब पैरवी, बहस हाजरी एवं नोटिस प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर खारिज किया जाता है।

29.12.15
सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर